रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092020-221720 CG-DL-E-14092020-221720

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] No. 361] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2020/भाद्र 23, 1942 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2020/BHADRA 23, 1942

## भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

## अधिसचना

नई दिल्ली. 14 सितंबर. 2020

सं. 1-सीए(7)/195/2020 .—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का आगे और संशोधन करने के लिए कितपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, उस तारीख से, जिसको भारत के ऐसे राजपत्र की प्रतियां, जिसमें इन प्रारूप विनियमों को प्रकाशित किया जाता है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालिस दिन की अविध के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, उसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् को, कार्यकारी सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली- 110002 को संबोधित करते हुए ऊपर विनिर्दिष्ट अविध के भीतर अग्रेषित कर सकेगा;

किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त किसी आक्षेप या सुझाव पर परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा ।

4244 GI/2020 (1)

#### प्रारूप विनियम

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2020 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में,--

#### । विनियम 4 में :

- (i) विद्यमान विनियम 4 को उसके उपविनियम (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा ;
- (ii) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उप विनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप विनियम (2) अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
  - "(2) उपिवनियम (1) के खंड (क) या खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी व्यक्ति से, जो अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से तीन वर्ष या अधिक की अविध के पश्चात् संस्थान की सदस्यता के लिए कोई आवेदन करता है और जो साथ ही इन विनियमों के अन्य उपबंधों का अनुपालन भी करता है, यह अपेक्षित होगा कि वह परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित मूल्यांकन परीक्षा में बैठे और उसे उत्तीर्ण करे।"।
- II. विनियम 19 में, उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति से, जो उसके नाम को सदस्यों के रजिस्टर से हटाए जाने की तारीख से तीन वर्ष या अधिक की अविध के पश्चात् नाम को पुन: प्रविष्ट करने के लिए कोई आवेदन करता है, यह अपेक्षित होगा कि वह परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित मूल्यांकन परीक्षा में बैठे और उसे उत्तीर्ण करे।"।

> राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./219/2020-21]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 जून, 1988 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/134/88, तारीख 1 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्यांकों द्वारा संशोधित किए गए थे:--

- (i) भारत के राजपत्र, तारीख 7 अक्तूबर, 1989 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/1/89 द्वारा प्रकाशित
- (ii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/10/90 द्वारा प्रकाशित
- (iii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/11/90 द्वारा प्रकाशित
- (iv) भारत के राजपत्र, तारीख 23 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/12/91 द्वारा प्रकाशित
- (v) भारत के राजपत्र, तारीख 2 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/13/90 द्वारा प्रकाशित
- (vi) भारत के राजपत्र, तारीख 7 मार्च, 1992 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/19/92 द्वारा प्रकाशित
- (vii) भारत के राजपत्र, तारीख 1 सितंबर, 1995 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/28/95 द्वारा प्रकाशित
- (viii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 13 मार्च, 1996 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/30/95 द्वारा प्रकाशित
- (ix) भारत के राजपत्र, तारीख 16 अगस्त, 1997 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/31/97 द्वारा प्रकाशित
- (x) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/44/99 द्वारा प्रकाशित
- (xi) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/45/99 द्वारा प्रकाशित
- (xii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 अगस्त, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/51/2000 द्वारा प्रकाशित

- (xiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 सितंबर, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/59/2001 द्वारा प्रकाशित
- (xiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 31 मार्च, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64/2002 द्वारा प्रकाशित
- (xv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 4 दिसंबर, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64ए/2003 द्वारा प्रकाशित
- (xvi) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 जुलाई, 2005 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/83/2005 द्वारा प्रकाशित
- (xvii) भारत के राजपत्र, तारीख 17 जून, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/84/2005 द्वारा प्रकाशित
- (xviii) भारत के राजपत्र, तारीख 13 सितंबर, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/92/2006 द्वारा प्रकाशित
- (xix) भारत के राजपत्र, तारीख 17 अगस्त, 2007 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/102/2007(अ) द्वारा प्रकाशित
- (xx) भारत के राजपत्र, तारीख 25 सितंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/116/2008 द्वारा प्रकाशित
- (xxi) भारत के राजपत्र, तारीख 3 दिसंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/123/2008 द्वारा प्रकाशित
- (xxii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 अगस्त, 2012 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/145/2012 द्वारा प्रकाशित
- (xxiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 22 जुलाई, 2014 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/154/2014 द्वारा प्रकाशित
- (xxiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 23 जनवरी, 2015 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/167/2014 द्वारा प्रकाशित
- (xxv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 25 मई, 2017 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/178/2016 द्वारा प्रकाशित

# THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2020

No.1-CA(7)/195/2020.—The following draft of certain regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, which the Council of the Institute of Chartered Accountants of India proposes to make, is hereby published, as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulation shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India, in which these draft regulations are published, are made available to the public;

Any person desiring to make any objection or suggestion in respect of the said draft regulations, may forward the same to the Council of the Institute of Chartered Accountants of India within the period so specified addressed to the Acting Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified shall be taken into consideration by the Council.

## **Draft Regulations**

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2020.

- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988, -

## I. In Regulation 4:

- (i) The existing regulation 4, shall be numbered as sub-regulation (1);
- (ii) After so numbered sub-regulation (1), the following shall be inserted as sub-regulation (2), namely,-
- "(2) Notwithstanding anything contained in clause (a) or (b) of sub-regulation (1), a person who makes an application for membership of the Institute after a period of three years or more from the date of his passing the final examination and comply with other provisions of these regulations, shall be required to appear and pass such Assessment as may be approved by the Council from time to time."
- **II.** In regulation 19, after sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided that a person who makes an application for restoration of his name after a period of three years or more from the date of removal of his name shall be required to appear and pass such assessment as may be approved by the Council from time to time."

RAKESH SEHGAL, Acting Secy. [ADVT.-III/4/EXTY./219/2020-21]

**Note**: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1<sup>st</sup> June, 1988 vide number 1-CA(7)/134/88 dated 1<sup>st</sup> June, 1988 and subsequently amended by the following numbers:-

- (i) Notification No.1-CA(7)/1/89 published in the Gazette of India, dated 7th October, 1989
- (ii) Notification No.1-CA(7)/10/90 published in the Gazette of India, dated 19th January, 1991
- (iii) Notification No.1-CA(7)/11/90 published in the Gazette of India, dated 19th January, 1991
- (iv) Notification No.1-CA(7)/12/91 published in the Gazette of India, dated 23rd February, 1991
- (v) Notification No.1-CA(7)/13/90 published in the Gazette of India, dated 2nd February, 1991
- (vi) Notification No.1-CA(7)/19/92 published in the Gazette of India, dated 7th March, 1992.
- (vii) Notification No.1-CA(7)/28/95 published in the Gazette of India dated 1st September, 1995
- (viii) Notification No.1-CA(7)/30/95 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 13th March, 1996
  - (ix) Notification No. 1-CA(7)/31/97 published in the Gazette of India, dated 16th August, 1997
  - (x) Notification No. 1-CA(7)/44/99 published in the Gazette of India dated 26th February, 2000
  - (xi) Notification No.1-CA(7)/45/99 published in the Gazette of India, dated 26th February, 2000
- (xii) Notification No.1-CA(7)/51/2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 17th August, 2001
- (xiii) Notification No.1-CA(7)/59/2001 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th September, 2001
- (xiv) Notification No.1-CA(7)/64/2002 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 31st March, 2003
- (xv) Notification No.1-CA(7)/64A/2003 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th December, 2003
- (xvi) Notification No.1-CA(7)/83/2005 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th July, 2005

- (xvii) Notification No.1-CA(7)/84/2005 published in the Gazette of India, dated 17th June, 2006
- (xviii) Notification No. 1-CA(7)/92/2006 published in the Gazette of India, dated 13th September, 2006
- (xix) Notification No. 1-CA(7)/102/2007(E) published in the Gazette of India, dated 17th August, 2007
- (xx) Notification No.1-CA(7)/116/2008 published in the Gazette of India, dated 25th September, 2008
- (xxi) Notification No.1-CA(7)/123/2008 published in the Gazette of India, dated 3rd December, 2008
- (xxii) Notification No. 1-CA(7)/145/2012 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 1st August, 2012
- (xxiii) Notification No. 1-CA(7)/154/2014 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 22nd July, 2014
- (xxiv) Notification No. 1-CA(7)/167/2014 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 23rd January, 2015.
- (xxv)Notification No. 1-CA(7)/178/2016 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 25th May, 2017.